न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—222/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/222)

1. तेजा पुत्र चतरा मृतक जरिए वारिसानः—
   1/1 सुगनी बेवा तेजा
   1/2 भंवरलाल पुत्र तेजा
   1/3 किशनी पुत्री तेजा
   1/4 मांगी पुत्री तेजा
   1/5 थैली पुत्री तेजा
   1/6 शारदा पुत्री तेजा
   1/7 गोपाल पुत्र तेजा
2. तीजी पत्नि मान्दू
3. पांचू पुत्र चतरा
4. रमेश पुत्र मांदू
5. शंकर पुत्र मांदू
6. सुजान पुत्र मांदू
7. सम्पत पुत्र मांदू
   समस्त जाति गुर्जर निवासी अमृतपुरा पृथ्वीराज खेडा, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपीलांट्स

बनाम

1. चन्द्रा पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी अमृतपुरा पृथ्वीराज खेडा, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 29.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 28/2020 बउनवानी चन्द्रा बनाम तेजा।</u>

उपस्थितः—

1. श्री पी0एस0नरूका, तेजेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—27.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 चन्द्रा ने अप्रार्थी/अपीलांटस के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किये। आवेदक/रेस्पोडेन्ट ने तामील कुनिन्दा से मिली भगत कर अपीलांट्स को निवास पर बिना नोटिस तामील करवाये लेने से इन्कार अंकित करवा न्यायालय में प्रस्तुत करवा दिये एवं न्यायालय ने भी उक्त तामील प्रोपर है या नहीं को अनदेखा कर दिनांक 29.11.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही एवं जवाब बन्द कर उक्त दिनांक 29.11.2021 को ही आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि से रास्ता कायम करने का निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट्स को प्रोपर नोटिस तामील नहीं कराये जाने से पूर्व में कभी नहीं रही। अभी हाल ही में अपीलांट्स की भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ता कायम होने एवं उन्हें बेदखल करने की धमकी दी गई जिस पर अपीलांट्स द्वारा तहसील में जानकारी करने दिनांक 6.6.2023 को गये तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। जिस पर आदेश की नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त की गई। नकल प्राप्त करने के पश्चात् पीसांगन में अभिभाषक से राय ली गई उनके द्वारा उक्त आदेश को अजमेर में चुनौती देने की राय दी जिस पर अपीलांट्स जो कि ग्रामीण व गरीब काश्तकार हैं। दिनांक 28.6.2023 को अजमेर आये एवं वकील नियुक्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण को प्रोपर नोटिस तामील नहीं कराये जाने से पूर्व में कभी नहीं रही। अभी हाल ही में प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थी द्वारा रास्ता कायम होने एवं उन्हें बेदखल करने की धमकी दी गई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा तहसील में जानकारी करने दिनांक 6.6.2023 को गये तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। जिस पर आदेश की नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त की गई। नकल प्राप्त करने के पश्चात् पीसांगन में अभिभाषक से राय ली गई उनके द्वारा उक्त आदेश को अजमेर में चुनौती देने की राय दी जिस पर प्रार्थीगण जो कि ग्रामीण व गरीब काश्तकार हैं। रूपये पैसों का बन्दोबस्त कर दिनांक 2.7.2023 को अजमेर आये एवं वकील नियुक्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुआ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

विलम्ब सदभाविक होने से क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सद्भाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में बताया कि तामील कुनिन्दा ने नोटिसों की पुश्त पर एक ही इबारत अंकित की है कि प्रार्थी स्वयं मिला, पुत्र मिला, भाई मिला नोटिस लेने से इन्कार किया व नोट अंकित किया कि गवाह मौजूद था गवाह करने से मना किया। प्रथम तो नोटिस लेने से इन्कार करने पर उपस्थित गवाह की गवाही कि उक्त के समक्ष नोटिस लेने से इन्कार किया उसके हस्ताक्षर मय निवास स्थान, पता, वल्दीयत, समय, दिनांक अंकित कर पुनः न्यायालय को प्रेषित करना आवश्यक है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में उक्त सभी घटकों का अभाव है। द्वितीय गवाह मौजूद पर गवाह करने से मना किया जो नोटिस की पुश्त पर अंकित किया है उसमें भी गवाह कौन है उसका नाम आदि अंकित नहीं किया। उक्त दोनों स्थिति से स्पष्ट था कि तामीलकर्ता नोटिस तामीली हेतु मौके पर गया ही नहीं बल्कि गलत तथ्य अंकित किये हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना नोटिसों को देखे तथा जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को अनदेखा कर तामील मानकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्मन पर तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस लेने से इन्कार, गवाह ने हस्ताक्षर करने से मना किया अंकित किया है जो जाप्ता दीवानी के आदेश 5 नियम 17 व 18 के प्रावधानों के विपरीत होकर प्रोपर तामील नहीं मानी जा सकती तथा न ही आदेश 5 नियम 19 जा.दी. के तहत सत्यता की जांच की तथा अपनी मनमर्जी से गलत रूप से तामील मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स के खसरा नम्बर 605 की पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 622 रास्ता व 620, 619 गैर मुमकिन रास्ता स्थित है तथा अपीलांट्स की भूमि खसरा नम्बर 605 के ऊपर उत्तर दिशा से पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 608, 607, 606, 501 स्थित है तथा खसरा नम्बर 608, 607, 606 में मौके पर रास्ता चालू है जिससे रेस्पोडेन्ट आता जाता है। इन तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.9.2020 को मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, पीसांगन को पत्र प्रेषित किया उसके बिन्दु संख्या 4 में चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी के आदेश दिये परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेन्ट द्वारा अब तक जिस रास्ते का प्रयोग करते रहे बावत कोई टिप्पणी नहीं की और न ही खसरा नम्बर 608, 607 व 606 में जो रास्ता चालू है और वह किस रास्ते से आवागमन करता है उसके सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गई जबकि मौके पर खसरा नम्बर 608, 607, 606 में मौके पर रास्ता चालू है तथा रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। आवेदक जिस भूमि को अपनी खातेदारी बता रास्ता चाहा है वह संयुक्त खातेदारी की भूमि है और अन्य सह खातेदारों द्वारा कोई रास्ते की मांग नहीं की गई अकेले आवेदक/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं था फिर भी इस तथ्य को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। आवेदक द्वारा तथ्य छिपाकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक के पास खसरा नम्बर 608, 607, 606 में रास्ता चालू है एवं उक्त खसरा नम्बर के खातेदारों द्वारा कोई रास्ते की मांग नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता चालू है परन्तु आवेदक द्वारा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

राजस्व कर्मचारियों द्वारा एक पक्षीय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई गई जो मौके की स्थिति के विपरीत थी। ज्यादा से ज्यादा अपीलांट्स भूमि खसरा नम्बर 605 के ऊपर स्थित खसरा नम्बर 608, 607, 606 व अपीलांट्स के खसरा नम्बर 605 की मेड पर रास्ता दिया जा सकता था परन्तु आवेदक ने जानबूझ कर अपीलांट्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत से मात्र अपीलांट्स की भूमि से रास्ता चाहा है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2004 आर0बी0जे0 पेज 617, 2005 आर0बी0जे0 पेज 657, 2010 आर0बी0जे0 पेज 604, 2022 आर0आर0टी0(2) पेज 1096.

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन मनगढ़त व झूठे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस तामील होने के बाद उनकी एक पक्षीय कार्यवाही की है, जो विधि सम्मत है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना–पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद नहीं हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में बताया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात खसरा संख्या 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 ग्राम पृथ्वीराज खेडा में अवस्थित है। प्रार्थी के खेत के उत्तर दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 605 रकबा 3.07 है0 है जिसके उत्त दिशा में गै0मु0 रास्ता खसरा संख्या 620 अंकित होकर चला आ रहा है । इसके अतिरिक्त प्रार्थी के लिये कोई आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 605 रकबा 3.07 है0 के पूर्वी दिशा की ओर गै0मु0 रास्ता खसरा संख्या 620 तक कीमतन रास्ता 15 फिट रास्ता दिलाया जाकर उसे वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में मुर्तीब किया जावे। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किंये गये। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनका जवाब बंद किया जाता है। तहसीलदार पीसागंन की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुयी। तहसीलदार पीसागंन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पृथ्वीराज खेडा तहसील पीसागंन 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 तक पहुंचने हेतु 15 फिट चौडा रास्ता जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 605 रकबा 3.07 है. में से 0.07 है. गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 620 तक रास्ते में आने वाली भूमि की तहसील राजस्व लेखाकार से गणना करवाकर वर्तमान प्रचलित डी. एल. सी. की दुगुनी राशि का संबंधित खातेदारों के नाम उनके हिस्से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अनुसार डी. डी. प्रार्थी से प्राप्त कर खातेदारों को उपलब्ध करवाकर खातेदारों के डी.डी. लेने से इनकार करने पर उक्त राशि राजकोश में जमाकरवा कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता तरमीम किया जावे। अधीनरथ न्यायालय ने रास्ते बाबत् आदेश दिये है वह विधि सम्मत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963 – धारा– 5 – विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मैरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होने से तथा अपील का निस्तारण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किये जाने से में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र को दिनांक 8.6.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए व पत्रावली आगामी दिनांक 23.6.2020 को नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली आगामी दिनांक 23.6.2020 के पश्चात 14.7.2020, 4.8.2020, 25.8.2020, 25.9.2020, 20.11.2020, 22.1.2021, 25.2.2021 से 5.3.2021 नियत की गई। दिनांक 5.3.2021 को पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली वास्ते इंतजार मौका रिपोर्ट एवं सुनवाई तलबी रिपोर्ट दिनांक 22.4.2021 को पेश हो। पत्रावली आगामी तारीख पेशियों में नियत होती रही। दिनांक 26.11.2021 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 26.11.2021 से पत्रावली दिनांक 29.11.2021 को नियत की गई व दिनांक 29.11.2021 को ही उक्त प्रकरण में तहसीलदार पीसांगन द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई व मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अंकन कर उक्त प्रकरण में दिनांक 29.11.2021 को निर्णय किया गया। अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अधीनरथ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को बिना नोटिस तामील हुए ही प्रकरण का निर्णय किया गया है, क्यों कि तामील कुनिन्दा ने नोटिसों की पुश्त पर अंकन किया है कि प्रार्थी स्वयं मिला, पुत्र मिला, भाई मिला नोटिस लेने से इन्कार किया व नोट अंकित किया कि गवाह मौजूद था गवाह करने से मना किया। प्रथम तो नोटिस लेने से इन्कार करने पर उपस्थित गवाह की गवाही कि उक्त के समक्ष नोटिस लेने से इन्कार किया उसके हस्ताक्षर मय निवास स्थान, पता,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वल्दीयत, समय, दिनांक अंकित कर पुनः न्यायालय को प्रेषित करना आवश्यक है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में सभी घटकों का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना नोटिसों को देखे तथा जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को अनदेखा कर तामील मानकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्मन पर तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस लेने से इन्कार, गवाह ने हस्ताक्षर करने से मना किया अंकित किया है जो जाप्ता दीवानी के आदेश 5 नियम 17 व 18 के प्रावधानों के विपरीत होकर प्रोपर तामील नहीं मानी जा सकती तथा न ही आदेश 5 नियम 19 जा.दी. के तहत सत्यता की जांच की तथा गलत रूप से तामील मानकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में नोटिस तामीली का कहीं कोई अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 5 नियम 17, 18 व 19 की पालना करते हुए नोटिस तामील करवाने चाहिए थे।

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के नियम 17 के अनुसार–:

17. ***जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इंकार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया–*** *जहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता वा उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहां तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् ऐसे प्रतिवादी को न पा सके, जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और और न कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सके वहां तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगाएगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का नाम और पता कथित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटाएगा जिसने समन निकाला था।*

18. ***तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन –*** *तामील करने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में, जिनमें समन की तामील नियम 16 के अधीन की गई है और उस समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो समन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था तो उसका नाम और पता कथित करने वाली विवरणी मूल–समन पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल समन से उपाबद्ध करेगा या कराएगा।*

19. ***तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा–*** *जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है वहां तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथपत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा*

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामिल सम्यक रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा जो वह ठीक समझे ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 17,18 व 19 का पालन नहीं किया गया व नोटिस की सम्यक तामिल के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिए एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित किया गया है।

न्यायिक दृष्टांत : 2017 डी0एन0जे (रेवेन्यू) 168 – *Rajasthan tenancy act, 1955- sec. 251 A- SDO Sanctioned the way but later on modified the direction of the way- revision-non-compliance of the rules-no report summoned from the tehsildar or ILR -held, order set aside and case remanded to SDO to decide afresh after giving notice to khatedar.*

उक्त प्रकरण में भी पक्षकारों को बिना नोटिस दिए भू0अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट तैयार की उक्त प्रकरण पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पूर्णरूप से चस्पा होते है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2021 को प्राप्त मौका रिपोर्ट के संदर्भ में भी प्रतिवादीगण को कोई नोटिस बाबत सूचना दी गई हो ऐसा कहीं पत्रावली में अंकन नहीं किया गया है व ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एक पक्षीय रूप से तैयार की गई है। वर्तमान प्रकरण में मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं अर्थात पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के नियम 69 की अवहेलना की है। उक्त नियम के अनुसार राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 251 ए के तहत उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाए हुए हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम–:

69. पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान– *प्रपत्र एक में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल (साईट) का निरीक्षण करेगा या जो किसी अधिकारी द्वारा जो भू निरीक्षक अभिलेख के पद (रैंक) से नीचे का नहीं होगा एंव निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपतियां आमंत्रित करेगा उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी ओर अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि इससे अपना समाधान कर लेता है कि–*

I. *आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है एवं*

II. *विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नए रास्ते के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है। वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र*

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

आवेदन किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:– RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- *Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.*

उक्त प्रकरण में नियम 69 की पालना नहीं की गई है, उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उक्त प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687 पूर्णरूप से चस्पा होते है। उपरोक्त कारणों से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के नियम 17, 18 व 19 की पालना करते हुए प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर वैकल्पिक मार्ग का अंकन करते हुए उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन में दिनांक 18.12.2024 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंवर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

27/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner